



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

सिंगरौली, दिनांक 21-02-19

::आदेश::

क्रमांक/ 145 /स्था०/2019 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक/पीईबी/कम्प्यूटर /6013/2018 भोपाल, दिनांक 19.12.2018 द्वारा समूह-4 अंतर्गत सहायक वर्ग-3, शीघ्रलेखक व अन्य समकक्ष पदों हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 दिनांक 28 से 31 जुलाई 2018 एवं 15 सितम्बर 2018 तथा लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 12.12.2018 को जारी किया जाकर परीक्षा परिणाम अंतिम चयन सूची संलग्न कर नियुक्ति की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्राप्त श्रेणीवार प्रावीण्य (मेरिट) सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल अभिलेख/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 11.02.2019 को बुलाया गया था। जिला स्तरीय गठित जांच समिति द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर सहायक वर्ग-3 के रिक्त पदों पर वेतनमान रूपये 5200-20200-1900 ग्रेड पे में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सौतवा वेतनमान) के लेवल-4 के अनुसार वेतनमान रूपये 19500-62000 के न्यूनतम वेतन रूपये 19500/- प्रतिमाह एवं अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय है, में अस्थाई रूप से कार्यग्रहण दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमित वेतनमान में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाकर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं० 6 में दर्शाये अनुसार कार्यालय में पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	चयनित अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम एवं पता	चयनित पद	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	संदीप कुमार मिश्रा	श्री उपेन्द्र प्रसाद मिश्रा	384/1 नौडिया आबाद, पोस्ट जिथावन, देवसर जिला सिंगरौली (म०प्र०) पिन नं० 486881	सहायक वर्ग-3	उपखण्ड कार्यालय माड़ा, जिला सिंगरौली
2.	मंजू जायसवाल	श्री सुसास चन्द्र जायसवाल	ग्राम सैलवार पोस्ट लमसरई तह. चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०) पिन नं० 486882	सहायक वर्ग-3	तहसील कार्यालय सिंगरौली (नगरीय), जिला सिंगरौली
3.	जितेन्द्र बंसल	श्री सरदार सिंह बंसल	853 वार्ड नं० 21 दर्पण कालोनी भिण्ड, जिला भिण्ड (म०प्र०) पिन नं० 477001	सहायक वर्ग-3	तहसील कार्यालय सरई, जिला सिंगरौली
4.	राहुल सिनोरिया	श्री जगन्नाथ प्रसाद	205 सैसपुरा, सैसपुरा शिवपुरी जिला शिवपुरी (म०प्र०) पिन नं० 473551	सहायक वर्ग-3	उपखण्ड कार्यालय माड़ा, जिला सिंगरौली
5.	नीतू ब्रम्हवंशी	श्री कैलाश चन्द्र ब्रम्हवंशी	ग्राम निभौरा पो० सोहागपुर तह० सोहागपुर जिला होशंगाबाद (म०प्र०) पिन नं० 461771	सहायक वर्ग-3	तहसील कार्यालय सिंगरौली (नगरीय), जिला सिंगरौली

क्रमशः पेज 2 में

स. क्र.	चयनित अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम एवं पता	चयनित पद	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	4	5	6	7
6.	लखन सोलंकी	श्री गिरधारी सोलंकी	वार्ड नं० 3 ग्राम बिलवानी पो० दामोद, राजपुर जिला बड़वानी (म०प्र०) पिन नं० 451447	सहायक वर्ग-3	तहसील कार्यालय सिंगरौली (नगरीय), जिला सिंगरौली
7.	श्याम गुन्डिया	श्री भद्रू गुन्डिया	डूंगरालालू पोस्ट झाबुआ जिला झाबुआ (म०प्र०) पिन नं० 457661	सहायक वर्ग-3	तहसील कार्यालय सिंगरौली (नगरीय), जिला सिंगरौली
8.	मधू	श्री सतीश सोलंकी	बेदीपुरा छोटीखरगौन महेश्वर खरगौन, जिला खरगौन (म०प्र०) पिन नं० 451221	सहायक वर्ग-3	अपर कलेक्टर न्यायालय, जिला सिंगरौली
9.	रविन्द्र घोषी	श्री तुलसीराम घोषी	1 कनेरा देव अम्बेडकर वार्ड सागर जिला सागर (म०प्र०) पिन नं० 470002	सहायक वर्ग-3	कलेक्टर कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) जिला सिंगरौली
10.	मोहिनी केवट	श्री चन्द्र गोपाल केवट	आई.टी.आई. रोड नर्मदा नगर होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद (म०प्र०) पिन नं० 461001	सहायक वर्ग-3	तहसील कार्यालय सरई, जिला सिंगरौली
11.	आलोक सिंह	श्री रविन्द्र सिंह	मकान नं. 350 वार्ड नं० 11 रामनगर गली पचौरी पुरा भिण्ड रोड पोरसा जिला मुरैना (म०प्र०) पिन नं० 476115	सहायक वर्ग-3	उपखण्ड कार्यालय देवसर, जिला सिंगरौली


शर्तें/निर्देश निम्न है:-

1. आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश समाप्त कर दिया जावेगा।
2. प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना दिये सेवा स्वयं समाप्त मानी जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं किसी भी समय एक माह के नोटिस के एवज में एक माह का वेतन भत्ता भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी, तथा उनके द्वारा सेवा से त्याग पत्र देने पर एक माह का वेतन भत्ता जमा करना होगा।
4. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति/सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य होंगे, इन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगा।
6. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला सिंगरौली में 05 वर्ष तक सेवा करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर
जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, राजस्व भवन अरेरा हिल्स म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।
4. संयुक्त संचालक कृषि लेखा एवं पेंशन रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।
5. अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।
6. प्रभारी अधिकारी वित्त/नजरत शाखा कलेक्टर कार्यालय जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।
8. जिला पेंशन अधिकारी जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।
9. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड सिंगरौली/माड़ा/देवसर/चितरंगी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ ।
10. तहसीलदार, तहसील सिंगरौली/माड़ा/देवसर/सरई/चितरंगी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।
12. स्टेनो टू कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।
13. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


 कलेक्टर
 जिला-सिंगरौली (म0प्र0)